

मुकदमों का विवरण

केरल सरकार और ए. एन. आर. बनाम.

जोसेफ और अन्य

(सिविल अपील सं. 2010 की 3142) अगस्त 09, 2023

[अभय एस. ओका और संजय करोल, जेजे।] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या दूसरी अपील से उत्पन्न होने वाला विवादित निर्णय दूसरी अपील के लिए स्थापित मानदंडों को पूरा करता है; और क्या प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे की राहत के हकदार हैं या ऐसा दावा किया गया है, जो केरल भूमि संरक्षण अधिनियम, 1957 द्वारा वर्जित है।

प्रतिकूल अधिकार: के सिद्धांत-भूमि एक सरकारी पोरंबोक भूमि होने के कारण-दावेदारों द्वारा मांगे गए प्रतिकूल कब्जे से राहत यह तर्क देते हुए कि उन्होंने 1940 में भूमि का अधिकार प्राप्त कर लिया था और तब से वे कब्जे में थे और निरंतर आनंद में थे-अधिकार:

आयोजित किया गया: न्यायालय द न्यायालय न्यायालय व न्यायालय न्यायालय
न्यायालय क न्यायालय र न्यायालय न न्यायालय न्यायालय
न्यायालय व न्यायालय न्यायालय ल न्यायालय न्यायालय न्यायालय न्यायालय क न्यायालय न्यायालय
न्यायालय स न्यायालय न्यायालय प न्यायालय त न्यायालय न्यायालय त न्यायालय न्यायालय
न्यायालय क न्यायालय न्यायालय न्यायालय अ न्यायालय न न्यायालय न्यायालय द न्यायालय
न्यायालय द न्यायालय न्यायालय न न्यायालय न्यायालय न्यायालय क न्यायालय न्यायालय
न्यायालय ल न्यायालय न्यायालय ए न्यायालय, न्यायालय
न्यायालय स न्यायालय न्यायालय प न्यायालय ष न्यायालय न्यायालय ट न्यायालय, न्यायालय
न्यायालय न न्यायालय न्यायालय र न्यायालय न्यायालय त न्यायालय र न्यायालय
न्यायालय औ न्यायालय र न्यायालय
न्यायालय श न्यायालय त न्यायालय न्यायालय र न्यायालय यु न्यायालय त न्यायालय न्यायालय प न्यायालय
न्यायालय र न्यायालय न्यायालय न्यायालय
न्यायालय अ न्यायालय ध न्यायालय न्यायालय क न्यायालय न्यायालय र न्यायालय
न्यायालय क न्यायालय न्यायालय न्यायालय ठ न्यायालय न्यायालय स न्यायालय
न्यायालय स न्यायालय न्यायालय क न्यायालय न्यायालय ष न्यायालय न्यायालय न्यायालय
न्यायालय क न्यायालय न्यायालय
न्यायालय म न्यायालय न्यायालय ध न्यायालय न्यायालय न्यायालय म न्यायालय
न्यायालय स न्यायालय न्यायालय
न्यायालय स न्यायालय न्यायालय थ न्यायालय न्यायालय प न्यायालय न्यायालय त न्यायालय
न्यायालय क न्यायालय र न्यायालय न न्यायालय न्यायालय
न्यायालय ह न्यायालय न्यायालय ग न्यायालय न्यायालय न्यायालय औ न्यायालय र न्यायालय

[illegible]

[illegible]

न्यायालयकन्यायालयोन्यायालयईन्यायालय
 न्यायालयअन्यायालयधन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालय
 न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयन्यायालय न्यायालयथन्यायालयान्यायालय।
 न्यायालय 20 लागू नहीं किया जा सकता-इसके अलावा, विवादित निर्णय एस की रूपरेखा का
 पालन नहीं करता था। 100 सी. पी. सी.-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि भूमि
 265 की थी

264

केरल सरकार और ए. एन. आर. बनाम. जोसेफ और अन्य
 दावेदारों को प्रतिकूल अधिकार के सिद्धांत के आधार पर अपास्त करना गया-केरल भूमि संरक्षण
 अधिनियम, 1957 -एस. 20.[पारस 11,19,22,27,28,37 और 38]
 प्रतिकूल अधिकार:दावा-ऐसे दावे को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतः
 आयोजित किया गया:न्यायालयकन्यायालयबन्यायालयन्यायालयजन्यायालयान्यायालय
 न्यायालयदन्यायालयून्यायालयसन्यायालयरन्यायालयेन्यायालय
 न्यायालयपन्यायालयकन्यायालयन्यायालयषन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
 न्यायालयदन्यायालयान्यायालयवन्यायालयेन्यायालय न्यायालययन्यायालयान्यायालय
 न्यायालयकन्यायालयबन्यायालयन्यायालयजन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
 न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
 न्यायालयखन्यायालयुन्यायालयलन्यायालयान्यायालय,न्यायालय
 न्यायालयसन्यायालयन्यायालयपन्यायालयषन्यायालयन्यायालयटन्यायालय,न्यायालय
 न्यायालयनन्यायालयिन्यायालयरन्यायालयन्यायालयतन्यायालयरन्यायालय
 न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
 न्यायालयशन्यायालयतन्यायालयन्यायालयरन्यायालयुन्यायालयतन्यायालयान्यायालयपन्यायालयू
 न्यायालयरन्यायालयन्यायालयणन्यायालय न्यायालयहन्यायालयोन्यायालयनन्यायालयान्यायालय
 न्यायालयचन्यायालयान्यायालयहन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय-
 न्यायालयसन्यायालयभन्यायालयीन्यायालय न्यायालयतन्यायालयीन्यायालयनन्यायालय
 न्यायालयआन्यायालयवन्यायालयशन्यायालयन्यायालययन्यायालयकन्यायालयतन्यायालयान्याया
 लयओन्यायालयन्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय न्यायालयसन्यायालयहन्यायालय-
 न्यायालयअन्यायालयसन्यायालयन्यायालयतन्यायालयिन्यायालयतन्यायालयन्यायालयवन्यायालय
 न्यायालयमन्यायालयन्यायालयन्यायालयहन्यायालयोन्यायालयनन्यायालयान्यायालय
 न्यायालयचन्यायालयान्यायालयहन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय-
 न्यायालयएन्यायालयनन्यायालय,न्यायालय न्यायालयईन्यायालय,न्यायालय
 न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय,न्यायालय न्यायालयवन्यायालयीन्यायालय,न्यायालय,न्यायालय
 न्यायालययन्यायालयान्यायालयनन्यायालयीन्यायालय,न्यायालय

[illegible]

[illegible]

न्यायालयकन्यायालयबन्यायालयन्यायालयजन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयान्यायालयथन्यायालय
न्यायालयशन्यायालयतन्यायालयन्यायालयरन्यायालयन्यायालयतन्यायालयन्यायालयपन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयन्यायालयन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयधन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयभन्यायालयीन्यायालय न्यायालयहन्यायालयोन्यायालयनन्यायालयान्यायालय
न्यायालयचन्यायालयान्यायालयहन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय।न्यायालय[पैरा 21.1-
21.4,21.7,21.8 और 21.10]

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908 -s.100**-के तहत दूसरी अपील की रखरखाव-आवश्यकता:
आयोजित किया गया:क्षेत्राधिकार यू/एस।100 इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब
न्यायालय आश्चर्य हो कि विवाद में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, और इस
क्षेत्राधिकार के तहत कार्यवाही ऐसी प्रकृति के प्रश्न तैयार किए बिना कार्यवाही को "स्पष्ट रूप से
अवैध" बनाती है-विवादित निर्णय कानून के किसी भी प्रश्न को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जो या
तो पर्याप्त है या मामले में शामिल है जिसे न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में तैयार किया गया है-
इसे देखते हुए, एस की रूपरेखा का पालन नहीं करने के लिए विवादित निर्णय गलत है।100.
[पैरा 8,9 और 11]

केरल भूमि संरक्षण अधिनियम, **1957** -धारा **20**-इस अधिनियम के तहत कार्यवाहियों से
पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए मुकदमों को सहेजना-इस प्रकार किया गया दावा, यदि धारा **20**
द्वारा वर्जित है।**20:**

आयोजित किया गया:बार के आवेदन करने के लिए, स्थापित दीवानी मुकदमा सरकारी भूमि के
अनधिकृत कब्जे के संबंध में इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के
खिलाफ होना चाहिए-तथ्यों पर, कलेक्टर के समक्ष मूल नोटिस की अपील की गई थी, जिन्होंने
इसे खारिज कर दिया था और उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी-घोषणा के लिए मुकदमा
दीवानी न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था जिसमें 266 की मांग की गई थी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

बेदखली के संबंध में किसी भी कार्यवाही के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा और विचाराधीन भूमि
का कब्जा और अधिकार-विवादित संपत्ति एक सरकारी संपत्ति होने के कारण, एकमात्र आधार
था जिसे पूरा किया गया था-सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में दीवानी मुकदमे की
प्राथमिक आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था, इस प्रकार एस में निहित बार।20 लागू नहीं
किया जा सकता है।[पारस 17-19]

अभ्यास और प्रक्रिया-लंबे समय से लंबित मुकदमा-मामले का प्रेषण:

आयोजित किया गया:चार दशकों से लंबित मामले को वापस भेजने से विवेक की सेवा नहीं होगी।[पैरा **12**]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी (2001) 3 एस. सी. सी.[2001] 1

एस. सी. आर. 948; चंद्रभान बनाम सरस्वती 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1273; उमरखान बनाम बिस्मिल्लाबी (2011) 9 एस. सी. सी. 684:[2011] 9 एस. सी. आर. 551; सिंगाराम बनाम रामनाथन

सिविल अपील सं। 2021 का 4939; राधामोनी देवी बनाम खुलना के कलेक्टर 1900 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 4; महाराजा श्री चंद्र नंदी बनाम बैजनाथ जुगल

किशोर एयर 1935 पी. सी. 36; पारसीनी बनाम सुखी (1993) 4 एस. सी. सी. 375: [1993] 2

पूरक।एस. सी. आर. 325; कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम भारत सरकार (2004) 10 एससीसी 779:[2004] 1 पूरक।एस. सी. आर. 255; एम. वेंकटेश बनाम बेंगलोर विकास

प्राधिकरण (2015) 17 एस. सी. सी. 1:[2015] 11 एससीआर 454; रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर (2019) 8 एससीसी 729:[2019] 11 एस. सी. आर. 74; एम. सिद्धीक (डी) एल. आर. एस. बनाम महांत सुरेश दास और अन्य के माध्यम से। (2020) 1 एससीसी 1:[2019] 18 एस. सी. आर. 1; ठाकुर किशन सिंह बनाम अरविंद कुमार (1994) 6 एस. सी. सी. 591:[1994] 3 पूरक।एससीआर

199; गया प्रसाद दीक्षित बनाम डॉ. निर्मल चंदर और अन्न। (1984) 2 एससीसी 286: [1984] 2 एस. सी. आर. 287; मल्लिकार्जुनैया बनाम नंजैया (2019) 15 एस. सी. सी. 756:[2019] 6 एस. सी. आर. 1073; अन्नाकिली बनाम ए. वेदानायगम (2007) 14 एस. सी. सी. 308:[2007] 11 एस. सी. आर. 517; देस राज और अन्य बनाम भगत राम (2007) 9 एस. सी. सी. 641:[2007] 2 एससीआर 892; एल. एन. अश्वत्थामा बनाम पी. प्रकाश (2009) 13 एस. सी. सी. 229:[2009] 10 एससीआर 615; चट्टी कोनाटी राव बनाम पल्ले वेंकट सुब्बा राव (2010) 14 एससीसी 316:[2010] 15 एससीआर 923; बृजेश कुमार और अन्न बनामशारदाबाई

(मृत) एलआर द्वारा। (2019) 9 एससीसी 369:[2019] 14 एस. सी. आर. 964; गुरुद्वारा साहब

ग्राम पंचायत ग्राम सिरथला (2014) 1 एस. सी. सी. 669; नरसम्मा और ओआरएस. वी.ए. कृष्णप्पा (मृत) एलआर के माध्यम से। (2020) 15 एससीसी 218:[2020] 7 एससीआर

528; बालकृष्ण बनाम सत्यप्रकाश (2001) 2 एससीसी 498:[2001] 1 एससीआर 480;

राजस्थान राज्य बनाम हरफूल सिंह (2000) 5 एस. सी. सी. 652:[2000] 3 एससीआर 267

केरल सरकार और ए. एन. आर. बनाम. जोसेफ और अन्य

958; मंडल राजस्व कार्यालय बनाम गौडला वेंकैया (2010) 2 एससीसी 461; वी।

राजेश्वरी बनाम टी. सी. सरवनबावा (2004) 1 एस. सी. सी. 551:[2003] 6 पूरक। एससीआर

927; उत्तराखंड राज्य बनाम मंदिर श्री लक्ष्मण सिद्ध महाराज (2017) 9 एस. सी. सी. 579:[2017] 14 एस. सी. आर. 257; धर्मपाल (मृत) बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड (2018) 11 एस. सी. सी. 449:[2017] 8 एस. सी. आर. 316; अन्नासाहब बापूसाहिब पाटिल बनाम बलवंत

(1995) 2 एससीसी 543:[1995] 1 एस. सी. आर. 88; मोहन लाल बनाम मिर्जा अब्दुल गफ (1996) 1 एस. सी. सी. 639:[1995] 6 पूरक। एससीआर 638; पी. टी. मुनिकन्ना रेड्डी बनाम रेवम्मा (2007) 6 एससीसी 59:[2007] 5 एससीआर 491; जनता दल पार्टी बनाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (2014) 16 एससीसी 731:[2014] 1 एससीआर 747; हरियाणा राज्य बनाम मुकेश कुमार (2011) 10 एससीसी 404:[2011] 14 एस. सी. आर. 211-संदर्भित। पेरी बनाम क्लिसोल्ड [1907] ए. सी. 73-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:सिविल अपील सं. 3142

2010.

1995 के एस. ए. सं. 740 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 05.08.2009 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

निशी राजन शोंकर, श्रीमती अनु के जॉय, अब्राहम सी. मैथ्यू, आलिम अनवर, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

पी. विनय कुमार, के. परमेश्वर, सुश्री आरती गुप्ता, सुश्री कांति, चिनमय कंगोकर, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

संजय करोल जे।

1. यह अपील केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 को 1995 की दूसरी अपील में पारित एक निर्णय और आदेश पर आक्षेप करती है, जिसके द्वारा जिला न्यायाधीश, थोडुपुझा द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 1995 की पहली अपील में 1991 के अपील वाद संख्या 3 में वापस किए गए निर्णय को पलट दिया गया था और विवाद का विषय भूमि को प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के आधार पर उत्तरदाताओं, अर्थात् जोसेफ का अधिकार बताया गया था।

268 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

पृष्ठभूमि

2. संपत्ति, विवाद का विषय, कुदयाथूर गाँव के सर्वेक्षण Nos.545/7/1,545/8 A2 और 545/8 B3 के साथ 30 सेंट मापती है। उक्त संपत्ति सरकारी पुरम्बोक भूमि बताई गई है। ऐसा तथ्य निर्विवाद प्रतीत होता है। प्रत्यर्थियों (प्रतिकूल अधिकार के दावेदार) 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला, जिसके खिलाफ वर्तमान अपील का नेतृत्व किया जाता है, यह है कि जोसेफ ने उस भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिसके कब्जे में वह 1940 से था और निरंतर आनंद में था।

3. थोडुपुझा जिले के तहसीलदार ने 20 फरवरी 1982 को सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे के लिए दावेदारों को नोटिस जारी किया और इस तरह हमारे सामने लंबे समय से चली आ रही मुकदमेबाजी शुरू हुई। मूल कब्जाधारी जोसेफ का 9 अगस्त 1982 को निधन हो गया। सहायक कलेक्टर, इडुक्की ने 11 मार्च 1983 के आदेश के माध्यम से तहसीलदार के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।

4. दावेदारों के कानूनी प्रतिनिधियों ने 14 अप्रैल 1983 को निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे का नेतृत्व किया। मुन्सिफ की न्यायालय ने 31 जुलाई 1987 को मुकदमे की अनुमति दी और रिमांड पर, राज्य के नेतृत्व में एक अपील से 16 दिसंबर, 1989 के आदेश के माध्यम से, सबूत पेश करने के अवसर न होने के आधार पर और राज्य के लिए गवाहों से जिरह के आधार पर, 21 जुलाई 1990 के एक फैसले और आदेश के साथ अपने मूल डिक्री को स्वीकार किया।

पहली अपील

5. न्यायालय ने अपने विवेक से अपने विचार के लिए यह प्रश्न तैयार किया कि क्या वादी (यहाँ उत्तरदाताओं) ने घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए मामला बनाया था और क्या नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पारित डिक्री टिकाऊ थी या नहीं।

5.1 यह देखा गया कि निषेधाज्ञा स्पष्ट रूप से 3 मई, 1982 के नोटिस का जवाब था, इसलिए इसे केरल भूमि संरक्षण अधिनियम, 1957 की धारा 20 द्वारा प्रभावित किया गया था। अधिनियम केवल उन मुकदमों की अनुमति देता है जो उक्त अधिनियम के तहत किसी आदेश के खिलाफ उन भूमि के संबंध में दायर किए जाते हैं जो सरकार से संबंधित नहीं हैं या पुरानी भूमि

नहीं हैं। धारा 20 के परंतुक से भी यही बात प्रभावित हुई थी जो नोटिस की तारीख के एक साल के भीतर ऐसे मुकदमों का नेतृत्व करने की अनुमति देता है। इस संबंध में वर्तमान मामले में नोटिस जारी किया गया था

1 इसके बाद दावेदार के रूप में संदर्भित किया गया। 2 इसके बाद, अधिनियम 269

केरल सरकार और ए. एन. आर. बनाम. जोसेफ और अन्य [संजय करोल, जे।]

22 फरवरी, 1982 में और 14 अप्रैल, 1983 को मुकदमा दायर किया गया, जिससे यह एक वर्ष की अनुमेय सीमा से बाहर हो गया।

5.2 यह देखा गया कि वादी द्वारा पेश किए गए गवाह "वादी को मौखिक सेवा प्रदान कर रहे थे" और विवादित संपत्ति पर लगाए गए पेड़ों की उम्र के संबंध में उनकी गवाही बहुत भिन्न थी। सुधार की उम्र को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह (एस) या कमीशन नहीं लिया गया था। वादी द्वारा भरोसा की गई एक रिपोर्ट, 35 साल पहले विवादित संपत्ति पर किए गए सुधारों पर ध्यान देती है और न तो रिपोर्ट और न ही ऐसी रिपोर्ट तैयार करने वाला व्यक्ति न्यायालय के समक्ष था।

5.3 इसके अलावा, यह देखा गया कि वादी 30 साल की वैधानिक अवधि से अधिक समय तक विवादित संपत्ति पर अपने कब्जे को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सके। अभि. साक्षी 1 की गवाही के अनुसार, वादी ने 1940 से पहले विवादित संपत्ति के दक्षिण में भूमि पर रहने की शपथ ली थी। हालाँकि, सरकारी संपत्ति पर वादी के कब्जे को साबित करने के लिए कोई अन्य रिकॉर्ड नहीं लिया गया था।

5.4 यह देखा गया कि "आकस्मिक विज्ञापन" या "अल्प सामग्री" के आधार पर निर्भर रहने से भूमि पर सरकार का अधिकार नहीं खोया जा सकता है। तब यह माना गया कि प्रतिकूल कब्जे की क्लासिक आवश्यकता यह है कि कब्जा खुला, मुखर, शत्रुतापूर्ण और निरंतर होना चाहिए। मामले में ये आवश्यकताएं अनुपस्थित थीं। अंत में यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल इसलिए कि ऐसा प्रतीत होता है कि सहायक कलेक्टर का आदेश ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि अविरा (जोसेफ का पुत्र, इसमें प्रत्यर्थी) जीवित था, भले ही कानूनी प्रतिनिधियों ने आरोपित होने के लिए आवेदन किया हो, अर्ध-न्यायिक अधिकारियों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे सिविल कोर्ट द्वारा देखी गई कठोरता के साथ कारण शीर्षक के संशोधन की प्रक्रिया का पालन करें और जो आरोपित होने की इच्छा रखते हैं, वे न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए एक कर्तव्य का पालन करते हैं कि उनके आवेदन का क्या हुआ। सिर्फ इसलिए कि आदेश को एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया है जो अब जीवन की दुनिया में नहीं है, वादी (यहाँ उत्तरदाताओं) के प्रतिनिधियों को इसे शून्य के रूप में मानने का अधिकार नहीं देता है।

5.5 ऐसे शब्दों में, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 1990 को पारित निर्णय और डिक्री को 3 अप्रैल, 1995 के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया था।

दूसरी अपील-विवादित निर्णय

6. निम्नलिखित विद्वत न्यायालय ने 5 अगस्त, 2009 के अपने निर्णय में उन निर्णयों की जांच की जिनके कारण उसके समक्ष अपील की विद्वान और कहा कि 270

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

निचली अपीलीय अदालत का दृष्टिकोण यह कहते हुए कि अधिनियम के आधार पर मुकदमा वर्जित था, एक अच्छा कानून नहीं था, क्योंकि इसमें प्रतिवादियों के नेतृत्व में मुकदमा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पूर्ण स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमा था, न कि तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ एक चुनौती। दूसरा पहलू जिस पर उच्च न्यायालय निचली अपीलीय अदालत से अलग है, वह इस बात पर था कि पीडब्लू 1 से 6 की गवाही अडिग रही।

6.1 यह देखा गया कि तहसीलदार ने अतिक्रमण की अवधि का अनुमान 40 वर्ष के दावे के मुकाबले 16 वर्ष लगाया था। तब यह अभिनिर्धारित किया गया कि साक्ष्य और संपत्ति में सुधार के संबंध में अन्य तथ्यों के अवलोकन से पता चलता है कि अतिक्रमण मुकदमे में एल. सी. की कार्यवाही से बहुत पहले किया गया था।

6.2 यह निष्कर्ष निकाला गया कि इसमें उत्तरदाताओं को प्रतिकूल कब्जे की कोई गुंजाइश नहीं दी जा रही है और यह साक्ष्य के गलत विचार पर आधारित है। उस स्थिति में, वे भूमि पर प्रतिकूल कब्जे की राहत के हकदार होंगे, जैसा कि विवादित निर्णय में दर्ज है, वे 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जे में हैं। 6.3 मामले के उस दृष्टिकोण में, मुन्सिफ अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया, जिसमें दावेदार को विचाराधीन भूमि पर प्रतिकूल कब्जा दिया गया और प्रथम अपील न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को पलट दिया गया। इस न्यायालय द्वारा विचार

7. वर्तमान विवाद का निर्णय लेने में, इस न्यायालय को दो कोणों से इसकी जांच करनी चाहिए। एक, क्या दूसरी अपील से उत्पन्न होने वाला निर्णय दूसरी अपील के लिए स्थापित मानदंडों को पूरा करता है या नहीं?; और दो, क्या इसमें उत्तरदाता प्रतिकूल कब्जे की राहत के हकदार हैं या ऐसा दावा किया गया है, जो केरल भूमि संरक्षण अधिनियम, 1957 द्वारा वर्जित है?

8. धारा 100, सिविल प्रक्रिया संहिता ('सी. पी. सी.', संक्षिप्तता के लिए) के तहत बनाए रखने योग्य अपील के लिए इसे कुछ अच्छी तरह से स्थापित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। उन सभी में प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपील से कानून का एक बड़ा सवाल खड़ा होना चाहिए। इस मानदंड को योग्य बनाने वाले प्रश्न को इस न्यायालय द्वारा बार-बार दोहराया गया है। हम केवल

संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी 3 (तीन न्यायाधीशों की पीठ) का संदर्भ लें।

जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

3 (2001) 3 एस. सी. सी. 179 271

“12. संशोधित धारा 100 में होने वाला वाक्यांश "कानून का सारवान प्रश्न" संहिता में शामिल नहीं है। सारगर्भित शब्द, "कानून के प्रश्न" को अर्हता प्रदान करने के रूप में, का अर्थ है-सार, आवश्यक, वास्तविक, ध्वनि मूल्य का, महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण होना। इसे तकनीकी, कोई सार या परिणाम नहीं, या केवल अकादमिक के साथ विरोधाभास में कुछ के रूप में समझा जाना चाहिए। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि विधायिका ने "सामान्य महत्व के" शब्दों को पर्याप्त करके "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न" के दायरे को योग्य नहीं बनाने का विकल्प चुना है जैसा कि संहिता की धारा 109 या संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (ए) जैसे कई अन्य प्रावधानों में किया गया है। कानून का वह सारवान प्रश्न, जिस पर दूसरी अपील की सुनवाई की जाएगी, जरूरी नहीं कि सामान्य महत्व का कानून का सारवान प्रश्न हो।

...

14. कानून का एक बिंदु जो किसी दो राय को स्वीकार नहीं करता है, वह कानून का प्रस्ताव हो सकता है लेकिन कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं हो सकता है। "सारवान" होने के लिए कानून का प्रश्न बहस योग्य होना चाहिए, जो पहले देश के कानून या एक बाध्यकारी मिसाल द्वारा तय नहीं किया गया हो, और मामले के निर्णय पर एक सामग्री असर होना चाहिए, अगर किसी भी तरह से जवाब दिया जाए, जहां तक पक्षकारों के अधिकारों का संबंध है। "मामले में शामिल" कानून का सवाल होने के लिए पहले दलीलों में रखी गई नींव होनी चाहिए और सवाल तथ्यों की न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्यों के स्थायी तथ्यों से उभरना चाहिए और मामले के न्यायसंगत और उचित निर्णय के लिए कानून के उस सवाल का फैसला करना आवश्यक होना चाहिए। उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया एक पूरी तरह से नया मुद्दा मामले में शामिल प्रश्न नहीं है जब तक कि यह मामले की जड़ तक नहीं जाता है। इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या कानून का कोई प्रश्न महत्वपूर्ण है और मामले में शामिल है या नहीं; सर्वोपरि समग्र विचार सभी चरणों में न्याय करने के लिए अनिवार्य दायित्व और किसी भी मुकदमे के जीवन में लंबे समय तक बचने की आवश्यकता के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाने की आवश्यकता है।”

(जोर दिया गया) इसमें निर्धारित सिद्धांतों को हाल ही में दोहराया गया था

चंद्रभान बनाम सरस्वती 4 (दो न्यायाधीशों की पीठ)।

4 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1273

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

9. आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में बनाए गए कानून के किसी भी प्रश्न का, या तो सारवान या "मामले में शामिल" होने का संकेत नहीं मिलता है। धारा 100, सी. पी. सी. अधिकारिता सी. पी. सी. की धारा 96 के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के समान नहीं है, जिसमें न्यायालय के लिए तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। इस अधिकारिता का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब न्यायालय आश्वस्त हो कि विवाद में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, और इस अधिकार क्षेत्र के तहत कार्यवाही ऐसी प्रकृति के प्रश्नों को तैयार किए बिना कार्यवाही को "स्पष्ट रूप से" प्रस्तुत करती है।

अवैध है।" [उमरखान बनाम बिस्मिल्लाबी 5 (दो-न्यायाधीशों की पीठ)

10. हाल ही में, सिंगाराम बनाम रामनाथन 6 मामले में दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

“यह निस्संदेह विभिन्न प्रसिद्ध अपवादों के अधीन है जो, हालांकि, दूसरे अपीलीय न्यायालय को निश्चित रूप से तथ्य के तथ्यों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इस तरह के प्रतिबंध उच्च न्यायालय पर इस क्रम में लगाए गए हैं कि न्यायालयों के पदानुक्रम में एक विशेष स्तर पर मुकदमेबाजी की वास्तविकता हो। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने वाली दूसरी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग की सीमा उच्च सार्वजनिक नीति पर आधारित है। इस सीमा को इस आवश्यकता पर जोर देकर सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है कि दूसरी अपील पर तभी विचार किया जाए जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो। इसलिए, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का अस्तित्व और निर्णय जो कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने के इर्द-गिर्द घूमता है, केवल औपचारिकताएं नहीं हैं। इनका पालन किया जाना चाहिए।” (जोर दिया गया) 11. उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, विवादित निर्णय को धारा 100, सी. पी. सी. की सुस्थापित रूपरेखाओं का पालन नहीं करने के लिए दोषपूर्ण माना जाना चाहिए।

12. हम अब तक यह देख चुके हैं कि तत्काल मुकदमेबाजी काफी समय तक यानी चार दशकों तक जारी रही है। उपरोक्त चर्चा के आलोक में इस मामले को विचार के लिए नीचे की न्यायालय में वापस भेजने से विवेक की सेवा नहीं होगी और इसलिए, मामले को समाप्त करने के उद्देश्य से, यह न्यायालय अपने गुण-दोष के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के दावे की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, जैसा कि बार में इस तरह से तर्क दिया जाता है।

5 (2011) 9 एस. सी. सी. 684

6 2021 की सिविल अपील संख्या 4939 273

केरल सरकार और ए. एन. आर. बनाम. जोसफ और अन्य [संजय करोल, जे.] 274

13. इस प्रकार, इस न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या दावेदारों ने प्रतिकूल कब्जे द्वारा संपत्ति, विवाद के विषय पर अपने अधिकार को पूरा किया है।

14. राज्य द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न दो आधारों पर उत्पन्न नहीं होता है-एक, कि भूमि निर्विवाद रूप से सरकारी भूमि है और दो, कि प्रत्यर्थियों के पास ऐसी भूमि का कब्जा केवल 15 साल की अवधि के लिए था जो 30 साल की आवश्यक अवधि से कम है, जिसके बाद राज्य के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 20 भूमि के अनधिकृत कब्जे के संबंध में इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के संबंध में सरकार के खिलाफ किसी भी मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही को प्रतिबंधित करती है, और चूंकि तत्काल अधिनियम के तहत वर्तमान कार्यवाही शुरू करने वाले नोटिस के कारण, जिन कार्यवाही को इसने जन्म दिया, उन्हें कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।

15. प्रावधान इस प्रकार है -

“20. इस अधिनियम के तहत कार्यवाही से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए मुकदमों को बचाना- इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश के संबंध में सरकार के खिलाफ किसी भी दीवानी न्यायालय में किसी भी मुकदमे पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय इस आधार के कि जिसके संबंध में ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है और जो सरकार की संपत्ति है, चाहे वह अपराध हो या नहीं।

बशर्ते कि दीवानी अदालतें ऐसे किसी भी मुकदमे का संज्ञान नहीं लेंगी, अगर यह कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से एक साल के भीतर स्थापित किया गया है।”

16. प्रथम अपील न्यायालय ने अभिलिखित किया है कि तत्काल मुकदमेबाजी को कानून के उपरोक्त प्रावधान द्वारा वर्जित किया गया है क्योंकि निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा तहसीलदार द्वारा जारी किए गए नोटिस के खिलाफ प्रतिशोध के तरीके से चलाया गया था। दूसरा अपीलीय न्यायालय, इसके विपरीत, यह अभिलिखित करता है कि मुकदमा निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा नहीं था, बल्कि अधिकार की घोषणा के लिए एक मुकदमा था, जो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उत्तरदाताओं पर निर्भर था और इसलिए, उपरोक्त प्रावधान कार्यवाही में बाधा नहीं डालेगा।

17. अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में दीवानी मुकदमों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान को पढ़ने से इस तरह के प्रतिबंध को लागू करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का पता चलता है:

(i) किसी सिविल न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं;

(ख) इस अधिनियम के तहत किसी भी आदेश के संबंध में;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

(ग) एकमात्र आधार जिस पर इस तरह के मुकदमे पर विचार किया जाएगा, वह यह है कि यदि जारी किया गया नोटिस उस संपत्ति के संबंध में है जो सरकार की नहीं है;

(iv) बिंदु संख्या (iii) में वर्णित अपवाद के तहत एक मुकदमे का मनोरंजन भी कार्रवाई के कारण की तारीख से एक वर्ष की समय सीमा से सीमित है।

18. वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए उपरोक्त पहचान सामग्री को लागू करना, स्थापित दीवानी मुकदमे को लागू करने के लिए सरकारी भूमि के अनधिकृत कब्जे के संबंध में इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ होना होगा। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि 3 अगस्त, 1982 के मूल नोटिस के खिलाफ कलेक्टर इडुकी के समक्ष अपील की गई थी, जिन्होंने इसे खारिज कर दिया था। अविरा के कानूनी प्रतिनिधियों के नेतृत्व में बर्खास्तगी के उक्त आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। जिस कानून का सहारा लिया गया था, वह वास्तव में 14 अप्रैल, 1983 को सिविल न्यायालय के समक्ष घोषणा के लिए एक मुकदमा था, जिसमें बेदखली और विचाराधीन भूमि के कब्जे और स्वामित्व के संबंध में किसी भी कार्यवाही के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। तीसरा आधार, यानी विवादित संपत्ति सरकारी संपत्ति होने के कारण, एकमात्र आधार है जिसे पूरा किया जाता है। यही एक निर्विवाद तथ्य है। 19. हालाँकि, सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में दीवानी मुकदमे की प्राथमिक आवश्यकता पूरी नहीं हुई है और इसलिए, अकेले तीसरे आधार के आधार पर, इस धारा में निहित बाधा को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त सरकारी भूमि पर उत्तरदाताओं का कोई अधिकार है या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना आवश्यक है।

20. पेरी बनाम क्लिसोल्ड 7 में प्रिवी काउंसिल द्वारा निम्नलिखित शब्दों में प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत की अवहेलना की गई है:

“यह विवादित नहीं हो सकता है कि मालिक के कल्पित चरित्र में भूमि के कब्जे वाले और स्वामित्व के सामान्य अधिकारों का शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग करने वाले व्यक्ति को पूरी दुनिया के खिलाफ एक पूरी तरह से अच्छा अधिकार है, लेकिन सही मालिक। और यदि सही मालिक आगे नहीं आता है और मामले में लागू सीमा के कानून के प्रावधानों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कानून की प्रक्रिया द्वारा अपने अधिकार का दावा नहीं करता है, तो उसका अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और स्वामी एक पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है।”

21. ऐसा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, इस तरह के दावे को नियंत्रित करने वाले कानून पर ध्यान देना आवश्यक है। विभिन्न विषयों के अवलोकन और विचार के बाद

7 [1907] ए. सी. 73 275

केरल सरकार और ए. एन. आर. बनाम. जोसफ और अन्य [संजय करोल, जे.] 276

इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जा सकता है:

21.1 कब्जा दूसरे पक्ष के दावे या कब्जे के लिए खुला, स्पष्ट, निरंतर और शत्रुतापूर्ण होना चाहिए; सभी तीन क्लासिक आवश्यकताओं को सह-अस्तित्व में होना चाहिए-एन. ई. सी. वी. आई., यानी, निरंतरता में पर्याप्त; एन. ई. सी. एल. ए. एम., यानी, प्रचार में पर्याप्त; और एन. ई. सी. पी. आर. सी. ओ., यानी, एक प्रतियोगी के लिए प्रतिकूल, शीर्षक और ज्ञान के इनकार में;

(क) राधामोनी देवी बनाम खुलना के कलेक्टर 8 में, प्रिवी काउंसिल

मान लिया कि -

“आवश्यक कब्जा निरंतरता, प्रचार में और यह दिखाने के लिए कि यह कब्जा प्रतिद्वंद्वी के लिए प्रतिकूल है, पर्याप्त होना चाहिए।”

(ख) इसके अलावा, परिषद महाराजा श्री चंद्र नंदी बनाम बैजनाथ जुगल किशोर 9 ने कहा -

“यह पर्याप्त है कि कब्जा खुला और छिपाने के किसी भी प्रयास के बिना होना चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति के खिलाफ समय चल रहा है, अगर वह उचित सतर्कता बरतता है, तो उसे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है।”

(ग) पारसीनी बनाम सुखी 10 में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि

“प्रतिकूल अधिकार का दावा करने वाले पक्ष को यह साबित करना होगा कि उसका अधिकार 'एन. ई. सी. वी. आई., एन. ई. सी. एल. ए. एम., एन. ई. सी. पी. आर. सी. ओ.' अर्थात् शांतिपूर्ण, खुला और खुला होना चाहिए।

निरंतरता। कब्जा पर्याप्त होना चाहिए, निरंतरता में, प्रचार में और यह दिखाने के लिए कि उनका कब्जा वास्तविक मालिक के लिए प्रतिकूल है।”

(घ) कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम भारत सरकार में (दो-न्यायाधीश)

पीठ) 11 यह अभिनिर्धारित किया गया था:-

“यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाले पक्ष को यह साबित करना चाहिए कि उसका अधिकार "एनईसी वी, एनईसी क्लैम, एनईसीपीआरकेरियो" है, जो शांतिपूर्ण, खुला और निरंतर है। कब्जा निरंतरता में, प्रचार में और यह दिखाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि उनका कब्जा वास्तविक मालिक के लिए प्रतिकूल है।

8 1900 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 4 9 एयर 1935 पी. सी. 36

10 (1993) 4 एससीसी 375 11 (2004) 10 एससीसी 779

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

यह सही मालिक के गलत स्वभाव के साथ शुरू होना चाहिए और वास्तविक, दृश्य, अनन्य, शत्रुतापूर्ण होना चाहिए और वैधानिक अवधि में जारी रहना चाहिए।”

इस मामले पर एम. वेंकटेश बनाम बेंगलोर के मामले में भरोसा किया गया था।

विकास प्राधिकरण 12 (तीन-न्यायाधीश पीठ), रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर 13 (तीन-न्यायाधीश पीठ)।

(ड) यह न्यायालय एल. आर. बनाम महांत सुरेश दास और अन्य के माध्यम से एम. सिद्धीक (डी) के हाल के एक मामले में। 14 (फी वी-जज बेंच) ने इस सिद्धांत को दोहराया कि -

“748. एक व्यक्ति जो प्रतिकूल कब्जे की याचिका स्थापित करता है, उसे दोनों कब्जे स्थापित करने चाहिए जो शांतिपूर्ण, खुले और निरंतर हैं-कब्जा जो 'एन. ई. सी. वी. एन. ई. सी. दावा और नेक्प्रेकेरियो' होने की आवश्यकता को पूरा करता है। प्रतिकूल कब्जे के अनुरोध को प्रमाणित करने के लिए, कब्जे का चरित्र निरंतरता में और सार्वजनिक रूप से पर्याप्त होना चाहिए क्योंकि कब्जा वास्तविक मालिक की जानकारी के लिए होना चाहिए ताकि यह प्रतिकूल हो। इन आवश्यकताओं को पहले पर्याप्त अभिवचनों द्वारा और दूसरा पर्याप्त साक्ष्य का नेतृत्व करके विधिवत स्थापित किया जाना चाहिए।”

21.2 प्रतिकूल अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट और ठोस साक्ष्य दिखाना चाहिए जो इस तरह के दावे की पुष्टि करते हैं।

ठाकुर किशन सिंह बनाम अरविंद कुमार मामले में यह न्यायालय 15 (दो-न्यायाधीश)

बेंच) ने कहा कि-“5. एक सह-मालिक या एक लाइसेंसधारी या एक एजेंट का कब्जा या प्रतिकूल होने के लिए एक अनुमेय कब्जा वास्तविक मालिक के ज्ञान के प्रतिकूल शत्रुतापूर्ण शत्रुता और कब्जे को दिखाने के लिए ठोस और आश्वस्त करने वाले साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। किसी भी समय के लिए केवल कब्जा करने से अनुमत कब्जे को प्रतिकूल कब्जे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

12 (2015) 17 एस. सी. सी. 1 13 (2019) 8 एस. सी. सी. 729 14 (2020) 1 एस. सी. सी. 1 15 (1994) 6 एस. सी. सी. 591 277

केरल सरकार और ए. एन. आर. बनाम. जोसफ और अन्य [संजय करोल, जे.] 278

एम. सिद्धीक (ऊपर) का भी उल्लेख किया जा सकता है। 21.3 किसी संपत्ति पर लंबे समय तक केवल कब्जा रखने से उसे अपने दम पर प्रतिकूल कब्जे का अधिकार नहीं मिलता है।

(क) गया प्रसाद दीक्षित बनाम डॉ. निर्मल चंदर और अन्न में।

(दो-न्यायाधीशों की पीठ) 16, इस न्यायालय ने कहा-"1. यह केवल अपने लाइसेंस की समाप्ति पर अनधिकृत कब्जा नहीं है जो लाइसेंसधारी को प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व का दावा करने में सक्षम बनाता है, लेकिन यह दिखाने के लिए कि वह प्रतिकूल अधिकार का दावा कर रहा है, लाइसेंसधारी की ओर से कुछ स्पष्ट कार्य होना चाहिए। यह संभव है कि लाइसेंसकर्ता अपने लाइसेंस को समाप्त करने के बाद लाइसेंसधारक से परिसर के कब्जे की वसूली के उद्देश्य से कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, लेकिन यह स्वयं लाइसेंसधारक को प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व का दावा करने में सक्षम नहीं बना सकता है। अनुज्ञप्तिधारी की ओर से शत्रुतापूर्ण अधिकार के दावे का संकेत देने वाला कुछ स्पष्ट कार्य होना चाहिए। केवल 12 साल से अधिक की अवधि के लिए भी अनधिकृत कब्जे को जारी रखना पर्याप्त नहीं है।"

ए. अरविंद कुमार (ऊपर) का भी उल्लेख किया जा सकता है।

मल्लिकार्जुनैया बनाम नंजैया 17 (दो-न्यायाधीशों की पीठ); उत्तम चंद

(ऊपर)। 21.4 इस तरह के स्पष्ट और निरंतर कब्जे के साथ दुश्मनी की संभावना होनी चाहिए- रखने का इरादा या दूसरे शब्दों में, इरादा

सही मालिक को बेदखल करना; कर्नाटक वक्फ बोर्ड (ऊपर) में यह

यह देखा गया था-"अनन्य अधिकार का भौतिक तथ्य और वास्तविक मालिक को छोड़कर मालिक के रूप में धारण करने की शत्रुता की संभावना सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें इस प्रकृति के मामलों में ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

(क) अन्नाकिली बनाम ए. वेदानायगम 18 (दो-न्यायाधीशों की पीठ) का मामला।

24 के तहत इस सिद्धांत पर भी प्रकाश डालें। प्रतिकूल कब्जा द्वारा दावे के दो तत्व हैं: (1) प्रतिवादी का कब्जा प्रतिकूल होना चाहिए

16 (1984) 2 एससीसी 286 17 (2019) 15 एससीसी 756 18 (2007) 14 एससीसी 308

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

वादी; और (2) प्रतिवादी को उसके बाद 12 साल की अवधि तक कब्जे में रहना चाहिए। एनिमस पोसिडेन्डी, जैसा कि सर्वविदित है, प्रतिकूल कब्जे का एक आवश्यक घटक है। अब यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि केवल भूमि पर कब्जा करने से उक्त उद्देश्य के लिए स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलेगा। मालिक के पास शत्रुतापूर्ण अधिकार होना चाहिए और वह भूमि वास्तविक मालिक के अधिकार के प्रतिकूल होनी चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए, न केवल शत्रुता की संभावना का अस्तित्व दिखाया जाना चाहिए, बल्कि अधिकार के प्रारंभ में भी इसका अस्तित्व दिखाया जाना चाहिए।

(ख) देस राज और अन्य बनाम भगत राम 19 (दो-न्यायाधीश)

पीठ) इस न्यायालय ने टिप्पणी की-"21. इस प्रकार के मामले में, जहां वादी-प्रत्यर्थी का लंबे समय तक और निरंतर कब्जा स्वीकार किया जाता है, केवल एक ही सवाल जो अवर न्यायालयों द्वारा विचार के लिए उठाया गया था, वह था कि क्या वादी अपने सह-मालिकों की तुलना में अपने अधिकार की शत्रुतापूर्ण घोषणा में संपत्तियों के कब्जे में था और वे इसके बारे में जानते थे।"

(ग) एल. एन. अश्वथामा न्यायालय पी. प्रकाश 20 (दो -

न्यायाधीश पीठ) ने कहा था कि एनीमस पॉसिडेन्डी की अनुपस्थिति में अनुमत कब्जा या कब्जा प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं होगा।

(घ) यह चट्टी कोनाती राव बनाम पल्ले के मामले में भी आयोजित किया गया था।

वेंकट सुब्बा राव 21 (दो न्यायाधीशों की पीठ) -

"15. एनिमस पॉसिडेन्डी, जैसा कि सर्वविदित है, प्रतिकूल कब्जे का एक आवश्यक घटक है। जब तक मालिक उक्त उद्देश्य के लिए वास्तविक मालिक के शीर्षक के प्रतिकूल संपत्ति नहीं रखता है, तब तक केवल अधिकार स्वामित्व के रूप में परिपक्व नहीं होता है। प्रतिकूल अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को उस तारीख को स्थापित करने की आवश्यकता होती है जिस दिन वह अधिकार में आया था, अधिकार की प्रकृति, अधिकार का तथ्य,

19 (2007) 9 एससीसी 641 20 (2009) 13 एससीसी 229 21 (2010) 14 एससीसी 316 279

केरल सरकार और ए. एन. आर. बनाम. जोसफ और अन्य [संजय करोल, जे.] 280

असली मालिक के लिए ज्ञान, अधिकार की अवधि और वह अधिकार खुला और निर्बाध था।

(जोर दिया गया) उपरोक्त निर्णय का उल्लेख करते हुए सुभा राव (ऊपर) इस न्यायालय ने एक मामले में एनीमस पॉसिडेन्डी की उपस्थिति की प्रमुखता को दोहराया है।

बृजेश कुमार और अन्न बनाम में प्रतिकूल कब्जे के संबंध में। शारदाबाई

(मृत) एलआर द्वारा। 22 (दो-न्यायाधीश पीठ)। 21.5 इस तरह की याचिका न केवल एक बचाव के रूप में उपलब्ध है जब शीर्षक पर सवाल उठाया जाता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के दावे के रूप में भी उपलब्ध है जिसने अपना खिताब पूरा कर लिया है।

गुरुद्वारा साहब बनाम ग्राम पंचायत सिरथला 23 (दो-न्यायाधीशों की पीठ) में निर्धारित कानून की पूर्व स्थिति यह थी कि प्रतिकूल कब्जे की याचिका का उपयोग प्रतिवादी द्वारा केवल ढाल के रूप में किया जा सकता है न कि वादी द्वारा तलवार के रूप में। हालाँकि, बाद में रविंदर कौर (उपरोक्त) के मामले में इस माननीय न्यायालय के निर्णय द्वारा स्थिति को बदल दिया गया था कि-"स्वामित्व या ब्याज अर्जित किया जाता है, इसका उपयोग वादी द्वारा तलवार के रूप में

किया जा सकता है और साथ ही अधिनियम के अनुच्छेद 65 के तहत प्रतिवादी द्वारा ढाल के रूप में किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति जिसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकार को परिपूर्ण किया है, बेदखल होने की स्थिति में कब्जे की बहाली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।"

रविंदर कौर (ऊपर) में पद का पालन नरसम्मा में किया गया था।

& ओआरएस. वी.ए. कृष्णप्पा (मृत) एलआर के माध्यम से। 24 (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)।

21.6 केवल एक निष्कासन आदेश के पारित होने से कब्जे में ब्रेक नहीं होता है और न ही उसके विस्थापन का कारण बनता है;

बालकृष्ण बनाम सत्यप्रकाश 24 (दो-न्यायाधीशों की पीठ) मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया: "...प्रतिकूल कब्जे में होने का दावा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ केवल निष्कासन का आदेश पारित करने से न तो उसे बेदखल किया जाता है और न ही उसके कब्जे को बंद किया जाता है जो केवल कब्जे की निरंतरता को तोड़ता है।"

21.7 जब कार्यवाही का भूमि विषय जिसमें प्रतिकूल कब्जे का दावा किया गया है, सरकार का है, तो न्यायालय

22 (2019) 9 एससीसी 369 23 (2014) 1 एससीसी 669 24 (2001) 2 एससीसी 498

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

अधिक गंभीरता, प्रभावशीलता, देखभाल और सावधानी के साथ कार्य करने के लिए कर्तव्यबद्ध है क्योंकि इससे अचल संपत्ति पर राज्य के अधिकार/अधिकार का विनाश हो सकता है।

राजस्थान राज्य बनाम हरफूल सिंह 25 (दो-न्यायाधीशों की पीठ)

आयोजित किया गया था: "12. जहाँ तक प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व की पूर्णता का सवाल है और वह भी सार्वजनिक संपत्ति के संबंध में, इस सवाल पर अधिक गंभीरता से और प्रभावी रूप से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें अंततः अचल संपत्ति पर राज्य के अधिकार/अधिकार का विनाश और किसी तीसरे पक्ष को अतिक्रमणकर्ता का अधिकार प्रदान करना शामिल है जहाँ उसके पास कोई अधिकार नहीं था।"

इसके अलावा, मंडल राजस्व कार्यालय बनाम गौडला वेंकैया 26 (दो -

न्यायाधीश पीठ) ने कहा: "...यह हमारा सुविचारित विचार है कि जब कोई अतिक्रमणकर्ता, अवैध कब्जाधारक या सार्वजनिक संपत्ति का भूमि हड़पने वाला यह याचिका दायर करता है कि उसने प्रतिकूल कब्जे से अधिकार को परिपूर्ण कर लिया है, तो न्यायालय अधिक गंभीरता, सावधानी और सावधानी के साथ कार्य करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। इस संबंध में किसी भी तरह

की ढिलाई के परिणामस्वरूप अचल संपत्ति पर राज्य का अधिकार नष्ट हो सकता है और अतिक्रमणकारियों, अनधिकृत कब्जाधारियों या भूमि हड़पने वालों को ऊपरी हाथ मिल सकता है।”

21.8 प्रतिकूल कब्जे की याचिका को उचित विवरणों के साथ अनुरोध किया जाना चाहिए, जैसे कि कब कब्जा प्रतिकूल हो गया। न्यायालय को कोई राहत देने के लिए अभिवचन से आगे नहीं बढ़ना है, दूसरे शब्दों में, याचिका को अपने दो पैरों पर खड़ा होना चाहिए।

इस न्यायालय ने **वी. राजेश्वरी बनाम टी. सी. सरवनबावा 27 (दो-न्यायाधीशों की पीठ)** के मामले में यह निर्णय दिया है:

“...एक याचिका जो अभिवचनों में या मुकदमे के चरण में मुद्दों में ठीक से नहीं उठाई गई है, उसे अपील के चरण में पहली बार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह उत्तराखंड राज्य बनाम मंदिर के मामले में भी आयोजित किया गया है

श्री लक्ष्मण सिद्ध महाराज 28 (दो न्यायाधीशों की पीठ):

25 (2000) 5 एससीसी 652 26 (2010) 2 एससीसी 461 27 (2004) 1 एससीसी 551 28 (2017) 9 एससीसी 579 281

केरल सरकार और ए. एन. आर. बनाम. जोसेफ और अन्य [संजय करोल, जे.] **282**

“...अवर न्यायालयों को यह भी देखना चाहिए था कि अदालतें केवल वही राहत दे सकती हैं जो वादी द्वारा वाद में दावा किया गया है और ऐसी राहत केवल अभिवचनों पर दी जा सकती है, लेकिन उससे आगे नहीं। दूसरे शब्दों में, अदालतें कोई राहत देने के लिए दलीलों से आगे नहीं बढ़ सकती हैं।

मंदिर **श्री लक्ष्मण सिद्ध महाराज (ऊपर)** पर धर्मपाल (मृत) बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड **29 (दो-न्यायाधीशों की पीठ)** में भरोसा किया गया था।

एक ही सिद्धांत। **21.9** एक ही समय में स्वतंत्र अधिकार और प्रतिकूल कब्जे का दावा विरोधाभासी दलीलों के बराबर है। **अन्ना साहेब बापू साहेब पाटिल बनाम बलवंत 30 (दो-न्यायाधीशों की पीठ)** के मामले में इस सिद्धांत को इस प्रकार विस्तृत किया गया:

“**15.** जहाँ अधिकार को एक वैध शीर्षक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, वहाँ इसे प्रतिकूल नहीं माना जाएगा। इसका कारण यह है कि एक व्यक्ति जिसके कब्जे को एक वैध शीर्षक के लिए संदर्भित किया जा सकता है, उसे यह दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि उसका कब्जा दूसरे के खिताब के प्रति शत्रुतापूर्ण था। एक व्यक्ति जो दूसरे की ओर से अधिकार रखता है, केवल उस दूसरे की उपाधि से इनकार करके अपने अधिकार को प्रतिकूल नहीं बनाता है ताकि वह खुद को सीमा के कानून का लाभ दे सके। इसलिए, एक व्यक्ति जो एक वैध उपाधि के

साथ अधिकार में आता है, वह यह नाटक करके उस उपाधि का दूसरा हिस्सा नहीं छीन सकता है कि उसके पास कोई उपाधि नहीं है।”

इस सिद्धांत को मोहन लाल बनाम मिर्जा अब्दुल गफ आर **31** (दो-न्यायाधीशों की पीठ) के मामले में बरकरार रखा गया था -

“4. जहाँ तक पहली याचिका का संबंध है, यह दूसरी याचिका के साथ असंगत है। समझौते के तहत कब्जे में आने के बाद, उसे इसके तहत अपने अधिकार का दावा करना चाहिए और हस्तांतरणकर्ता या उसके उत्तराधिकारी के ज्ञान या हित में अपने स्वतंत्र शत्रुतापूर्ण प्रतिकूल कब्जे के दावे को साबित करना चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि बाद वाले ने 12 साल की पूरी अवधि के दौरान अपने अवैध कब्जे को स्वीकार कर लिया था, यानी अपनी अवधि पूरी करने तक।

प्रिस्क्रिप्शन एन. ई. सी. वी. आई., एन. ई. सी. क्लेम, एन. ई. सी. प्रीकेरियो द्वारा शीर्षक। जब से अपीलार्थी

दावा धारा 53-ए पर आधारित है, यह बिना कहे चला जाता है कि वह निहितार्थ से स्वीकार करता है कि वह समझौते के तहत कानूनी रूप से भूमि के कब्जे में आया था और मुकदमे की तारीख तक कब्जे में बना रहा। इसके द्वारा प्रतिकूल अधिकार की याचिका अपीलार्थी के लिए उपलब्ध नहीं है।”

29 (2018) 11 एस. सी. सी. 449 30 (1995) 2 एस. सी. सी. 543 31 (1996) 1 एस. सी. सी. 239

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

उत्तम चंद (ऊपर) मामले में न्यायालय ने प्रतिकूल अधिकार के इस सिद्धांत को दोहराया है।

21.10 सबूत का बोझ प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है।

यह न्यायालय, पी. टी. मुनिकन्ना रेड्डी बनाम रेवम्मा **32** (दो -

न्यायाधीश पीठ) ने यह अभिनिर्धारित किया कि शुरू में अपना अधिकार और अधिकार साबित करने का भार भूमि मालिक पर था। इसके बाद यह प्रतिकूल कब्जे द्वारा खिताब साबित करने के लिए दूसरे पक्ष पर स्थानांतरित हो जाता है। यह देखा गया:-

“34. इस संबंध में कानून में बदलाव किया गया है। सीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 142 और 144 के संदर्भ में, वाद दायर होने की तारीख से 12 वर्षों के भीतर यह दिखाने के लिए सबूत का भार वादी पर था कि उसके पास भूमि का स्वामित्व और कब्जा था, जबकि सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 64 और 65 के संदर्भ में, जहां तक जिम्मेदारी का संबंध है, कानूनी स्थिति में पूर्ण परिवर्तन हुआ है: एक बार जब कोई पक्ष अपना हक साबित कर देता है, तो

सबूत की जिम्मेदारी दूसरे पक्ष पर होगी कि वह प्रतिकूल कब्जे से हक के दावों को साबित करे।” न्यायालय ने जनता दल पार्टी के मामले में इस सिद्धांत को दोहराया

बनाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 33 (दो-न्यायाधीशों की पीठ):

“...यह साबित करने का पूरा भार प्रतिवादी पर है कि कब्जा वादी के अधिकार के प्रतिकूल है।

21.11 राज्य प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने नागरिकों की भूमि पर दावा नहीं कर सकता क्योंकि यह एक कल्याणकारी राज्य है।

[हरियाणा राज्य बनाम मुकेश कुमार 34 (दो न्यायाधीशों की पीठ)]

22. तत्काल तथ्यों में, प्रत्यर्थियों को विवादित संपत्ति का आनंद देने के लिए, स्पष्ट, निरंतर और शत्रुतापूर्ण कब्जे को ठोस साक्ष्य के माध्यम से स्थापित करना होगा और शत्रुता की संभावना का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। अब हम इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या वर्तमान मामले में इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।

23. यहाँ, हम उस संपत्ति पर दावा करने वाले उत्तरदाताओं से चिंतित हैं जो निर्विवाद रूप से राज्य की है। अब तक पुनः प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम एक बार फिर, लाभ के साथ, हरफूल सिंह (उपरोक्त) का उल्लेख कर सकते हैं, इस न्यायालय ने कहा:

32 (2007) 6 एससीसी 59 33 (2014) 16 एससीसी 731 34 (2011) 10 एससीसी 404 283

केरल सरकार और ए. एन. आर. बनाम. जोसेफ और अन्य [संजय करोल, जे.] 284

“12. जहाँ तक प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व की पूर्णता का सवाल है और वह भी सार्वजनिक संपत्ति के संबंध में, इस सवाल पर अधिक गंभीरता से और प्रभावी रूप से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें अंततः अचल संपत्ति पर राज्य के अधिकार/अधिकार का विनाश और तीसरे पक्ष को अतिक्रमणकर्ता का अधिकार प्रदान करना शामिल है जहाँ उसके पास कोई अधिकार नहीं था। पी. लक्ष्मी रेड्डी बनाम एल. लक्ष्मी रेड्डी [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 314:1957 एस. सी. आर. 195] सामान्य शास्त्रीय आवश्यकता-कि यह एन. ई. सी. वी. आई., एन. ई. सी. सी. एल. ए. एम., एन. ई. सी. पी. आर. ए. ओ. होनी चाहिए-के लिए आवश्यक कब्जा निरंतरता, प्रचार में और यह दिखाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि यह कब्जा प्रतिद्वंद्वी के लिए प्रतिकूल है। इसमें यह भी देखा गया था कि प्रतिकूल कब्जे से उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति की जो भी दुश्मनी या इरादा हो, उसका प्रतिकूल कब्जा तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि वह आवश्यक दुश्मनी के साथ वास्तविक कब्जा प्राप्त नहीं कर लेता। रिपोर्ट किए गए निर्णय में

सिकरी में। परिषद में भारत का राज्य बनाम देवेन्द्र लाल खान [(1933) 61

आई ए 78:1934 सभी एल. जे. 153 (पी. सी.)] ने प्रत्यर्थियों के लिए दृढ़ता से भरोसा किया, न्यायालय ने आगे कहा कि यह पर्याप्त है कि कब्जा स्पष्ट रूप से और छिपाने के किसी भी

प्रयास के बिना होना चाहिए ताकि जिस व्यक्ति के खिलाफ समय चल रहा है, उसे उचित सतर्कता बरतनी चाहिए, इस बात से अवगत होना चाहिए कि क्या हो रहा है और यदि क्राउन के अधिकारों को खुले तौर पर हड़प लिया गया है, तो यह दलील देने के लिए नहीं सुना जा सकता है कि तथ्य को उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया गया था।

नोटिस करें। अन्ना साहेब बापू साहेब पाटिल बनाम बलवंत [(1995) 2 एस. सी. सी. 543

:ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 895] यह देखा गया कि प्रतिकूल कब्जे का दावा एक शत्रुतापूर्ण दावा है जिसमें स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वास्तविक मालिक के स्वामित्व से इनकार किया गया है, बोझ हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो स्पष्ट और स्पष्ट साक्ष्य द्वारा साबित करने के लिए इस तरह के दावे का दावा करता है कि उसका कब्जा वास्तविक मालिक के प्रति शत्रुतापूर्ण था और इस तरह के दावे का निर्णय लेने में, अदालतों को उन कार्यों को करने वाले व्यक्ति की दुश्मनी को ध्यान में रखना चाहिए।" (जोर दिया गया) 24। दावेदार प्रतिकूल कब्जे के दावे के माध्यम से सरकार से संबंधित भूमि के समय के अंत तक मालिक घोषित किए जाने की मांग करते हैं। जब इस स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो यह स्पष्ट है कि अदालत को इस प्रश्न पर "अधिक गंभीरता से" विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि रेवम्मा (ऊपर) में चर्चा की गई है, सबूत के बोझ के पहले हिस्से को निस्संदेह पूरा किया जाता है क्योंकि विषय भूमि सरकारी भूमि होने के कारण कभी भी विवाद में नहीं थी। सबूत का बोझ एक बार बदल गया,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

यह दावेदारों के लिए था कि वे अपने कब्जे को सरकार के अधिकारों के प्रति खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण साबित करें।

25. जमा किए गए साक्ष्य के माध्यम से, ग्रामीणों की गवाही के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। इस तरह के साक्ष्य के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि कोई निर्णायक बयान नहीं दिया जा रहा है और इसके बजाय, ऐसी भूमि पर पेड़ों की अनुमानित उम्र के आधार पर, उत्तरदाताओं के कब्जे की अवधि की गणना की जा रही है।

26. अलग-अलग विश्लेषण पर, जिन साक्ष्यों पर दावेदार भरोसा करना चाहते हैं और जिन्हें विवादित निर्णय "अडिग" बताता है, जबकि निस्संदेह विचाराधीन भूमि पर दावेदारों के दीर्घकालिक कब्जे की ओर इशारा करते हुए, "अधिक गंभीर और प्रभावी" जांच की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसी प्रकृति के नहीं हैं।

27. साक्ष्यों के अवलोकन से पता चलता है कि रबर के पेड़ों की उम्र के संदर्भ में स्थिरता की कमी है। कुछ गवाह दावा करते हैं कि उम्र 15 वर्ष है जबकि अन्य 18 वर्ष होने का दावा करते हैं।

28. पहली अपील में, न्यायालय ने नोट किया कि पेड़ों की उम्र के बारे में कोई स्वतंत्र आयोग या सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके आधार पर कब्जे की गणना की जा रही थी। इस अनियंत्रित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या इस न्यायालय द्वारा हरफूल सिंह (उपरोक्त) में बिना किसी अनिश्चित शब्दों में प्रमाण का मानक -

“जब कथित निर्माण से पहले संपत्ति एक खाली भूमि थी, खुले और शत्रुतापूर्ण कब्जे को दिखाने के लिए जो अकेले कानून में राज्य के लिए प्रतिकूल हो सकता है, इस मामले में, उचित प्रमाण के साथ कब्जे की प्रकृति के कुछ ठोस विवरण बिल्कुल आवश्यक होंगे और केवल अस्पष्ट दावे स्वयं खुले और शत्रुतापूर्ण कब्जे के लिए आवश्यक ऐसे ठोस प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकते हैं।”

(जोर दिया गया) को पूरा नहीं कहा जा सकता है। पेड़ों की उम्र के अनुमान को किसी भी तरह से पर्याप्त प्रमाण नहीं कहा जा सकता है, जो निर्विवाद रूप से सरकार के साथ-साथ पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 द्वारा संपादित प्रमाण को बाधित करने के लिए आवश्यक है। दावेदारों के लिए अस्पष्ट बयानों के अलावा, अधिकार का कुछ सबूत दिखाने के लिए आवश्यक उचित और ठोस सबूत की आवश्यकता होगी। उपरोक्त चर्चा से यह भी स्पष्ट है कि केवल कब्जे की एक लंबी अवधि, प्रतिकूल कब्जे के अधिकार में परिवर्तित नहीं होती है।

285

केरल सरकार और ए. एन. आर. बनाम. जोसेफ और अन्य [संजय करोल, जे.] 286

अनुमान, अनुमान और अनुमान राज्य के पास भूमि पर अधिकार छीनने के लिए आधार की सेवा नहीं कर सकते हैं और अधिकारों के उक्त बंडल को उस व्यक्ति के हाथों में नहीं रख सकते हैं जिसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था।

29. यह अभिलेख की बात है कि दावेदार को बाहर निकालने की कार्यवाही संबंधित तहसीलदार के समक्ष शुरू की गई थी जिसमें दावेदार ने न तो अनुरोध किया और न ही प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकार का दावा किया। इसके विपरीत, अनधिकृत कब्जा विवादित नहीं था, जिसमें केवल कुछ पेड़ (रबर के पेड़) लगाने का अनुरोध किया गया था, जिनका उपयोग रबर टैपिंग के लिए किया गया था।

30. यह भी रिकॉर्ड पर एक मामला है कि ऐसी कार्यवाही उपयुक्त प्राधिकारी (तहसीलदार) द्वारा समाप्त की गई थी। 24 फरवरी, 1982 के आदेश द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी (तहसीलदार) ने एक आदेश पारित किया था जिसमें दावेदार को न केवल भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया था, बल्कि मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था। 354/- इन तथ्यों का शिकायत में कभी उल्लेख नहीं किया गया था।

31. सहायक कलेक्टर, इडुकी ने दावेदार को भूमि का आवंटन न करने का कारण स्पष्ट रूप से बताया, क्योंकि यह एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तहसीलदार या सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को कभी भी दावेदारों द्वारा न तो

अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तंत्र का सहारा लेकर और न ही मुकदमे में, विचार का विषय, कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी।

32. लिखित कथन में यह पहली बार है कि अधिनियम के तहत आदेश पारित करने के तथ्य को सिविल न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था, जिसे न तो खंडन किया गया था और न ही प्रतिकृति के माध्यम से समझाया गया था। 33. इसके अलावा, पीडब्लू1 (ब्रजीता), पीडब्लू3 (चेरियन) और पीडब्लू4 (नारायणन) की गवाही का संयुक्त अध्ययन किसी भी तरह से इस तथ्य को स्थापित नहीं करता है कि दावेदार ने कभी भी वास्तविक मालिक यानी राज्य के खिलाफ अधिकार का दावा किया है।

34. उनकी गवाही केवल वादी/दावेदारों के कब्जे और भूमि को पेड़ लगाने के लिए उपयोग करने के लिए स्थापित करती है, हालांकि अवधि की भिन्नता के साथ, यानी लगभग 15 से 40 वर्ष। जो भी हो, यह कुछ भिन्नताओं के साथ दर्ज किया गया है कि रबड़ के पेड़ उस तारीख से लगभग 15 से 18 साल पहले लगाए गए थे जिस दिन बयान दर्ज किए गए थे।

35. शपथ लेने पर, पीडब्लू1 को दिए गए एक विशिष्ट प्रश्न में कि क्या यह स्थापित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि संपत्ति उनके कब्जे में होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

वर्ष 1940 के बाद, एक स्पष्ट इनकार है। समान रूप से गवाह मुकदमे के संपत्ति विषय से सटे 1940 से संपत्ति में रहने का कोई सबूत होने से इनकार करता है।

36. बस इतना ही कहा गया है कि संपत्ति का आनंद लिया जा रहा था, यह मानते हुए कि यह उनकी है।

37. यह मामले के इस दृष्टिकोण में है, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा गवाहों, विशेष रूप से पीडब्लू1 को पीडब्लू5 को वापस किए गए आदेशों ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से दावेदारों के दावों को गलत साबित किया है।

38. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति है। 5 अगस्त, 2009 के 1995 की धारा 740 में उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करना दिया गया है और 1991 के अपील वाद संख्या 3 दिनांक 3 अप्रैल, 1995 में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को बहाल कर दिया गया है।

39. वार्ताकार आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा। 40. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन